



UPBL010061032025

न्यायालय- विशेष न्यायाधीश, (ई० सी० एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलिया।

पीठासीन अधिकारी-रामकृपाल, जे० ओ० कोड नं०-02759 (उच्चतर न्यायिक सेवा)

एफ० आर० नं०-448/2025

हुकुम चन्द बनाम सुरेन्द्र नाथ कौशल

अपराध संख्या-2111/2022

धारा-138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम।

थाना-एण्टी पावर थेफ्ट,

जिला- बलिया।

दिनांक-13.12.2025

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई।

पुलिस थाना-एण्टी पावर थेफ्ट, जिला बलिया द्वारा प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या-263/2025 के सम्बन्ध में वादी मुकदमा हुकुम चन्द चौहान ने लिखित प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अन्तिम आख्या स्वीकार करने में अनापत्ति व्यक्त किया है। अभियुक्त अभियुक्त की मृत्यु होने के आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया है।

चूँकि अभियुक्त की मृत्यु होने के आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित कर दिया गया है। वादी मुकदमा अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम रिपोर्ट संख्या-263/2025 स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(रामकृपाल)

विशेष न्यायाधीश (ई० सी० एक्ट)/

अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।

टाईपकर्ता-यशवन्त सिंह,